भाग–III

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 जनवरी, 2016

संख्या का0आ0 3/के0अ0 39/1987/धा0 28/2016-& विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम 39), की धारा 28 की उप–धारा (2) के खण्ड (ङ), (ञ) तथा (ड) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मुख्य न्यायाधीश, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के परामर्श से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लोक उपयोगी सेवा हेतु स्थाई लोक अदालत तथा ताल्लुक (उपमण्डल) विधिक सेवा समिति में ग्रुप ख, ग तथा घ के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

भाग–1

सामान्य

1. (1) ये नियम हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ग्रुप ख, ग तथा घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम, लागूकरण तथा प्रारम्भ।

(2) ये नियम हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लोक उपयोगी सेवा हेतु स्थाई लोक अदालत तथा ताल्लुक (उपमण्डल) विधिक सेवा समिति के ग्रुप ख, ग तथा घ के सभी सेवा के सदस्यों को लागू होंगे।

(3) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं।

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्राय है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम 39);

(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, इन नियमों के नियम 6 के अधीन विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में वर्णित कोई प्राधिकारी;

(ग) ''अध्यक्ष'' से अभिप्राय है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष, लोक उपयोगी सेवा हेतु स्थाई लोक अदालत का अध्यक्ष या ताल्लुक (उपमण्डल) विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो;

(घ) ''समिति'' से अभिप्राय है, ताल्लुक (उपमण्डल) विधिक सेवा समिति;

(ङ) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्राय है, सेवा में से पदोन्नति द्वारा या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या उच्च न्यायालय की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति से अन्यथा की गई कोई नियुक्ति;

(च) ''जिला प्राधिकरण'' से अभिप्राय है, अधिनियम में यथा परिभाषित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण;

(छ) ''कार्यकारी अध्यक्ष'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष;

(ज) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(झ) ''संस्था'' से अभिप्राय है, कोई संस्था जो सरकार द्वारा संस्था के रूप में घोषित की गई है;

(ञ) ''सदस्य सचिव'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का सदस्य सचिव;

(ट) ''सेवा का सदस्य'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण, स्थाई लोक अदालत या समिति के ग्रुप ख, ग तथा घ सेवा में किसी पद पर भर्ती किया गया कोई व्यक्ति;

(ठ) ''मुख्य संरक्षक'' से अभिप्राय है, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश;

(ड) ''स्थाई लोक अदालत'' से अभिप्राय है, अधिनियम के अध्याय VI–क के अधीन यथा स्थापित लोक उपयोगी सेवा हेतु स्थाई लोक अदालत;

(ढ) ''मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय'' से अभिप्राय है, भारत के किसी राज्य में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय;

(ण) ''सेवा'' से अभिप्राय है, इन नियमों के अधीन ग्रुप ख, ग तथा घ सेवा, जैसी भी स्थिति हो;

(त) ''राज्य प्राधिकरण'' से अभिप्राय है, अधिनियम में परिभाषित हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।

भाग – II
सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

3. सेवा में, इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाए गए पद शामिल होंगेः

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात, राज्य प्राधिकरण के परामर्श से ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी या अस्थाई रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहत अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त किये गये उम्मीद्वारों की राष्ट्रियता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित न हो, –

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु उपरोक्त खण्ड (ख), (ग) या (घ) से सम्बन्धित कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, राज्य प्राधिकरण या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे केवल सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण–पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हो, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली–भांति परिचित हो और उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हो और उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जो राज्य प्राधिकरण को आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को अठारह वर्ष से कम अथवा बयालीस वर्ष से अधिक की आयु का ना हो।

नियुक्ति प्राधिकारी।

6. (1) राज्य प्राधिकरण के ग्रुप ख पद पर नियुक्ति या तो पदोन्नति द्वारा या सीधी नियुक्ति द्वारा या हरियाणा सरकार के अन्य विभागों से या उच्च न्यायालय या हरियाणा के जिला न्यायालयों से प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(2) राज्य प्राधिकरण के ग्रुप ग तथा घ पदों पर नियुक्तियां कार्यकारी अध्यक्ष के परामर्श से सदस्य सचिव द्वारा की जाएगी। ग्रुप ग पदों पर नियुक्ति या तो पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा या हरियाणा सरकार के अन्य विभागों से या उच्च न्यायालय या हरियाणा के जिला न्यायालयों से प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा की जाएगी तथा ग्रुप घ पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी।

(3) स्थाई लोक अदालत के ग्रुप ग तथा घ पदों पर नियुक्तियां कार्यकारी अध्यक्ष के परामर्श से सदस्य सचिव द्वारा की जाएगी। ग्रुप ग पदों पर नियुक्ति या तो पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा या हरियाणा सरकार के अन्य विभागों से या उच्च न्यायालय या हरियाणा के जिला न्यायालयों से प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा की जाएगी तथा ग्रुप घ पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी।

(4) जिला प्राधिकरण तथा समिति के ग्रुप ग तथा घ पदों पर नियुक्तियां राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष की सिफारिश पर जिला प्राधिकरण के सम्बन्धित अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। ग्रुप ग पदों पर नियुक्ति या तो पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा या हरियाणा सरकार के अन्य विभागों से या उच्च न्यायालय या हरियाणा के जिला न्यायालयों से प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा की जाएगी तथा ग्रुप घ पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी

नियुक्ति का ढंग तथा योग्यताएं।

7. कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर परिशिष्ट ख में वर्णित ढंगों में से किसी एक के सिवाय सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के उक्त परिशिष्ट के खाना 3 में विनिर्दिष्ट और सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो:

परन्तु सीधी भर्ती की दशा में, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीद्वारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, तो कार्यकारी अध्यक्ष के विवेक पर अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में पचास प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जाएगी, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

अयोग्यता।

8. कोई भी व्यक्ति–

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि र्कायकारी अध्यक्ष की सन्तुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति को लागू स्वीय विधि के आधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकते है।

भर्ती।

9. (1) जहां ग्रुप ख, ग या घ का कोई पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना अपेक्षित है, तो कार्यकारी अध्यक्ष, सदस्य सचिव तथा राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण से कोई दो अधिकारियों को मिलाकर चयन समित गठित करेगा। लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर चयन समिति मैरिट के अनुक्रम में उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगी तथा उसे इसकी सिफारिश सहित कार्यकारी अध्यक्ष को उसके अनुमोदन हेतु भेजेगी। कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा दिए गए ऐसे अनुमोदन के बाद, नियमों के परिशिष्ट क में यथा वर्णित सेवा के पदों तथा सरकार द्वारा समय–समय पर, स्वीकृत सभी अन्य पदों पर सभी नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उक्त अनुमोदित सूची से की जाएगी।

(2) सीधी भर्ती की चयन सूची परिणामों की घोषणा की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी तथा इस अवधि के भीतर विज्ञापित पद किसी कारण से नहीं भरा जाता है या रिक्त रह जाता है, तो मैरिट के अनुसार प्रतीक्षा सूची, यदि कोई हो, के उम्मीदवारों में से भरा जाएगा। नियुक्ति हेतु अनुमोदन के मामले में कार्यकारी अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

10- (1) टंकण परीक्षा, लिपिकों, आशुलिपिकों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों तथा वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों के लिए सेवा शर्तों के भाग रूप में कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस0ई0टी0सी0) से प्रतिस्थापित की जाती है। कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस0ई0टी0सी0) बाद की अपेक्षित शर्त/अर्हता होगी जो सरकारी विभागों/संस्थाओं में सभी नए भर्ती/नियुक्त किए गए लिपिकों, आशुलिपिकों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों तथा वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को अर्हक करनी होगी। वर्तमान लिपिक जो ग्रुप–घ तथा रेस्टोरर इत्यादि से पदोन्नत किए गए हैं, जिन्होंने सेवा नियमों के अधीन यथा अपेक्षित अब तक टंकण परीक्षा पास नहीं की है उन्हें या तो टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस0ई0टी0सी0) पास करने का विकल्प होगा। आशुलिपिकों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों तथा वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को भी सेवा नियमों में यथाविहित आशुलिपि परीक्षा भी अर्हक करनी होगी।

(2) उम्मीदवार को सीधी भर्ती की दशा में एक वर्ष तक विस्तारयोग्य दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस0ई0टी0सी0) अर्हक करनी होगी। ग्रुप–ग में पदों के पूर्वोक्त प्रवर्गों के विरूद्व नियुक्त उम्मीदवार तब तक अपने वेतनमान में कोई वेतनवृद्धि अर्जित करने के लिए हकदार नहीं होगा जब तक वह उक्त परीक्षा अर्हक नहीं कर लेता है, जिसमें असफल रहने पर ऐसे कर्मचारियों की सेवाऐं समाप्त कर दी जाएंगी । व्यक्ति जो लिपिक तथा आशुलिपिक के पद पर पदोन्नत किए गए हैं, को भी एक वर्ष तक विस्तारयोग्य एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस0ई0.टी0सी0) अर्हक करनी होगी, जिसमें असफल रहने पर उसे वापस प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।

(3) हरियाणा सरकार, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य इलैक्ट्रोनिक विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन) या सरकार द्वारा यथाविहित किसी अन्य एजेन्सी को इस नियम के उप नियम (4) में पहले से यथा उपबन्धित पाठयक्रम के अतिरिक्त जैसा सरकार समय–समय पर इस सम्बन्ध में विनिदिष्ट करें पाठयक्रम के अनुसार टाईपिंग स्पीड में परीक्षा सहित कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस0ई0टी0सी0) आयोजित करने के लिए प्राधिकृत एजेन्सी के रूप में प्राधिकृत करती है। हारट्रोन या सरकार द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य एजैन्सी द्वारा जारी किया गया पास प्रमाण–पत्र सेवा नियमों में विहित शर्त को पूरा करने के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(4) कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस0ई0टी0सी0) के लिए पाठयक्रम में केवल वर्डप्रोसैसिंग, इन्टरनेट बराउजिंग तथा ई–मेल मनेजमैन्ट होंगे ।

(5) लिपिकों की दशा में, दोनों मामलों में समकक्ष की (key) दबाने सहित बदलकर अंग्रेजी में प्रति मिनट 30 शब्द तथा हिन्दी में प्रति मिनट 25 शब्द की टाईपिंग स्पीड, चूंकि टाईपिंग स्पीड कम्प्युटर पर परीक्षित की जाएगी।

(6) निम्नलिखित योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस0ई0टी0सी0) देने से छूट दी जाती है :–

(i) एम0टैक0/बी0टैक0 (कम्प्युटर), एम0सी0ए0, बी0सी0ए0 या मान्यता प्राप्त संस्थान जैसे पोलिटैनिक्स से कम्प्युटर में डिप्लोमा,

(ii) राष्ट्रीय इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौधोगिकी संस्थान (एन0आई0ई0एल0आई0टी0) (पूर्वी डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसाइटी) के अधीन स्थापित किसी मान्यताप्राप्त केन्द्र से बेसिक कम्प्यूटर साक्षरता प्रमाण पत्र,

(iii) एच0के0सी0एल0 के प्राधिकृत शिक्षा केन्द्रों (ए0एल0सीज0) से सूचना प्रौधोगिकी में हरियाणा राज्य प्रमाण–पत्र (एच0एस0सी0आई0टी0)

(iv) उम्मीदवारों/कर्मचारियों जिन्होंने एस0ई0टी0सी0 पहले से ही पास कर रखी है तथा वह सेवा ग्रहण करते समय वैध है। किसी उम्मीदवार द्वारा पहले से ही पास कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस0ई0टी0सी0) को हारट्रोन या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेन्सी द्वारा ऐसा प्रमाण–पत्र जारी करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध माना जाएगा; तथा

(v) शारीरिक रूप से अशक्त उम्मीदवारों अर्थात हाथ (बायां तथा दायां) का अंगच्छेदन ऊपरी अंगों का अंगच्छेदन, परैलइसिस आफ रेडयल नर्वः (रेडयल नर्वः पालसी) दोनों में से कोई एक ऊपरी अंग। नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाला डेक्लिनेशन डिजेनरेटिव डिसआर्डर जो हाथ के लकवे तथा इसकी मांसपेशियों की क्षीणता तथा आंखों की विकलांगता का कारण हो सकता है।

तथापि इन कर्मचारियों को उपरोक्त उप–पैरा (v) के अधीन वर्णित अपवाद सहित कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस0ई0टी0सी0) की भागरूप टंकण परीक्षा पास करना अपेक्षित होगा।

पदोन्नति का ढ़ग। **11.** जहां कोई पद पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित हैं, तो यह कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठता एवं मैरिट के आधार पर की जाएगी तथा उक्त समिति की पदोन्नति हेतु उपयुक्तता विचारने हेतु इसकी अपनी मरजी की प्रकिया हो सकती है।

परिवीक्षा। **12.** (1) सेवा में सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा अवधि दो वर्ष के लिए होगी जो राज्य प्राधिकरण के ग्रुप ख के कर्मचारियों की दशा में कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा और राज्य प्राधिकरण तथा स्थाई लोक अदालत के ग्रुप ग और घ के कर्मचारियों की दशा में सदस्य सचिव तथा जिला प्राधिकरण या समिति के कर्मचारियों की दशा में जिला प्राधिकरण या समिति के अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, की सिफारिश पर सदस्य सचिव द्वारा इस प्रकार बढ़ाई जा सकती है कि कुल अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, राज्य प्राधिकरण के ग्रुप ख के पद की दशा में कार्यकारी अध्यक्ष के अनुमोदन से सदस्य सचिव, राज्य प्राधिकरण तथा स्थाई लोक अदालत के ग्रुप ग तथा घ के पदों की दशा में सदस्य सचिव तथा जिला प्राधिकरण या समिति के कर्मचारियों की दशा में जिला प्राधिकरण या समिति के अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, की सिफारिश पर कार्यकारी अध्यक्ष के अनुमोदन से सदस्य सचिव,–

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य तथा आचरण संतोषजनक रहा हो तो,–

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है;

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह अस्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो स्थाई रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है।

(3) कार्यकारी अध्यक्ष ग्रुप ख के पद की दशा में, यदि उसकी परिवीक्षा संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो उसका कोई कारण बताए बिना सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति की सेवा परिवीक्षा या विस्तारित परिवीक्षा, जैसी भी स्थिति हो, की अवधि के दौरान किसी भी समय समाप्त कर सकता है।

(4) कार्यकारी अध्यक्ष के परामर्श से सदस्य सचिव, राज्य प्राधिकरण या स्थाई लोक अदालत में ग्रुप ग अथवा घ की दशा में, यदि उसकी परिवीक्षा संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो उसका कोई कारण बताए बिना सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति की परिवीक्षा या विस्तारित परिवीक्षा जैसी भी स्थिति हो, अवधि के दौरान किसी भी समय समाप्त कर सकता है या जिला प्राधिकरण या समिति में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्त करने के लिए जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष को निर्देश कर सकता है।

(5) जब तक पुष्टि का अभिवक्त आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो नियुक्त व्यक्ति यदि परिवीक्षा अवधि या विस्तारित अवधि समाप्त हो गई हो, तब भी परिवीक्षा के अधीन समझा जाएगा।

13. सेवा के सदस्यों की परस्पर वरिष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उसके लगातार सेवाकाल के अनुसार अवधारित की जाएगी : वरिष्ठता।

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सेवा के सदस्यों की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित मैरिट अनुक्रम वरिष्ठता नियत करते समय भंग नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि एक तिथि को समरूप पद पर नियुक्त दो या दो से अधिक सेवा के सदस्यों की दशा में, उनकी वरिष्ठता निम्न प्रकार अवधारित की जाएगी,—

(क) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सेवा का सदस्य सीधी भर्ती या स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त सदस्य से वरिष्ठ होगा;

(ख) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सेवा का सदस्य स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त सदस्य से वरिष्ठ होगा;

(ग) स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त सेवा के सदस्यों की दशा में, वरिष्ठता विभाग, जिससे वे प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरित किए गए थे, में ऐसे सदस्य की वरिष्ठता के अनुसार अवधारित की जाएगी;

(घ) विभिन्न संवर्ग से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सेवा के सदस्यों की दशा में, उनकी वरिष्ठता वेतन के अनुसार अवधारित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर वेतनमान ले रहा था, और यदि ले रहे वेतन की दर भी समान हो, तो तब ऐसे सेवा काल के अनुसार अवधारित की जाएगी और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सेवा का सदस्य छोटे सेवा के सदस्य से वरिष्ठ होगा;

(ड़) विभिन्न संवर्गों से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त सेवा के सदस्यों की दशा में, उनकी वरिष्ठता वेतन के अनुसार अवधारित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर वेतनमान ले रहा था, और यदि ले रहे वेतन की दर भी समान हो, तो तब ऐसे सेवा काल के अनुसार अवधारित की जाएगी और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सेवा का सदस्य छोटे सेवा के सदस्य से वरिष्ठ होगा।

14. कार्यकारी अध्यक्ष के परामर्श से सदस्य सचिव समय–समय पर हरियाणा राज्य के भीतर कहीं भी या राज्य प्राधिकरण के मुख्यालय पर या विलोमतः किसी समकक्ष पद पर सेवा के सदस्य को स्थानान्तरित कर सकता है। स्थानान्तरण और तैनाती।

15. (1) जब कभी राज्य प्राधिकरण अधिकारी/अमला को प्रतिनियुक्त पर लाते हुए पद भरने का विनिश्चय करता है, तो प्रतिनियुक्ति अवधि समान्यतः दो वर्ष की होगी तथा उसके बाद, राज्य प्राधिकरण अपने विवेक पर मुल विभाग की सहमति से, जैसा वह आवश्यक समझे, ऐसी और अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ा सकता है : प्रतिनियुक्ति तथा समावेशन।

परन्तु कर्मचारी के आवेदन पर कार्यकारी अध्यक्ष अपने विवेक से तथा सन्तुष्ट होने पर, किसी भी अधिकारी या अन्य कर्मचारी जो किसी पद पर प्रतिनियुक्त पर है तथा प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण में दो वर्ष या अधिक के लिए कार्यरत हो, के समावेशन के लिए आदेश कर सकता है तथा ऐसा समावेशन मूल विभाग जहां अधिकारी/ कर्मचारी उसकी प्रतिनियुक्ति की अवधि से पूर्व तुरन्त कार्य कर रहा था, की अनुमति प्राप्त करने के बाद प्रभावी होगा।

(2) जहां कर्मचारी किसी पद पर राज्य प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार समावेशित किया गया है, तो ऐसे कर्मचारी के आने से पूर्व उस द्वारा की गई सेवा राज्य सरकार में विद्यमान नियमों के अनुसार विचारी जाएगीः

परन्तु कर्मचारी की वरिष्ठता समावेशन की तिथि से गिनी जाएगी।

वेतन, छुटटी, पेंशन तथा अन्य मामले।

16. (1) वेतन, छुटटी, पेंशन, अधिवर्षिता, सुनिश्चित जीविका प्रगति हेतु उपबंध तथा ऐसे सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा शासित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाये गये हो अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जाये।

(2) कोई व्यक्ति जो सेवा या पद से सेवानिवृत्त होता है, तो वह अधिवर्षिता पेंशन (किन्तु पेंशन की किसी अन्य श्रेणी के लिए नहीं) वास्तविक अवधि जो उसकी सेवा की अवधि से एक चौथाई से अधिक न हो या वास्तविक अवधि जिसकी भर्ती के समय उसकी आयु पच्चीस वर्ष से अधिक है या वास्तविक अवधि पांच वर्ष है, जो भी कम हो, यदि वह सेवा या पद–

(क) जिसके लिए वह वैज्ञानिक, शिल्पविज्ञानीय व्यवसायिक क्षेत्र में स्नातकोत्तर अनुसंधान या विशिष्ट अर्हता या अनुभव आवश्यक है, पर नियुक्त किया गया है ; तथा

(ख) जिस पर सामान्यतः पच्चीस वर्ष की अवधि की आयु के उम्मीदवार भर्ती किए गए हैं,

के लिए अपनी अर्हक सेवा जुड़वाने के लिए पात्र होगा :

परन्तु यह छूट ऐसे किसी व्यक्ति को अनुज्ञेय नहीं होगी यदि उसकी वास्तविक सेवा, सेवा छोड़ते समय, दस वर्ष से कम हो :

परन्तु यह और कि यह छूट केवल ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञेय होगी जो उक्त अर्हताएं तथा अनुभव रखता हो तथा सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्त किया हो :

परन्तु यह और कि यह छूट उस व्यक्ति को, जो अधिवर्षिता पेंशन की अपनी पूर्व सेवा गिनने के लिए पात्र है, अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक वह अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व विकल्प का चुनाव नहीं करता है, पूर्व सेवा गिनते हुए पूर्वगामी सेवा के अधिमान हेतु, एक बार विकल्प का किया गया प्रयोग अन्तिम होगा।

अनुशासन् शास्तियां तथा अपीलें।

17. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा शासित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं, ऐंसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी ऐसे होगें जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987के नियम 9 के उपनियम (1) के खंड (ग) या खंड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में यथाविनिर्दिष्ट है ।

(3) अपील में पारित किया गया आदेश अन्तिम होगा।

(4) इन नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई भी अपील,–

(i) अन्तर्वर्ती स्वरूप के किसी आदेश, जो अनुशासनिक कार्यवाहियों के अन्तिम निपटान के सहायक कदम के हैं, के विरूद्ध नहीं हो सकेगी ;

(ii) अन्तर्वर्ती हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के अधीन की गई किसी जांच के दौरान किसी जांच प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध नहीं हो सकेगी ;

(5) कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक आदेश की प्रति जिसके विरूद्ध अपील की जानी है, अपीलार्थी को प्रदान करने की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर नहीं की जाती है। अन्तिम ज्ञात पते पर संसुचित आदेश विधिवत् सूचित किए गए समझे जाएंगे, यदि जानबूझकर सेवा इन्कार या प्रत्याख्यान या अपवंचन किया गया है :

परन्तु अपील प्राधिकारी उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील ग्रहण कर सकता है, यदि उसकी सन्तुष्टि हो जाती है कि अपीलार्थी के पास समय पर अपील दायर नहीं करने के पर्याप्त कारण थे।

18. सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं टीका लगवायेगा तथा जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसे निर्देश करे, पुनः टीका लगवाएगा। टीका लगवाना।

19. सेवा के प्रत्येक सदस्य को, जब तक कि उसने पहले ही ऐसा न कर लिया हो, भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ लेनी होगी। राजनिष्ठा की शपथ।

20. यदि कार्यकारी अध्यक्ष की राय में, मुख्य संरक्षक से सम्यक् विचार–विमर्श के बाद, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग या इन नियमों के अन्तर्गत पदों के बारे में ऐसा कर सकता है। ढील देने की शक्ति।

21. इन नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझें, तो वह ऐसा कर सकता है। विशेष उपबन्धता।

22. सरकार द्वारा समय–समय पर आरक्षण, आयु में छूट, या अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों या किन्हीं अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्ति के सम्बन्ध में किसी अन्य छूट के सम्बन्ध में जारी किया गया कोई आदेश/अधिसूचना ऐसी फेरफार, यदि कोई हो, जैसा राज्य प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करें, के अध्यधीन यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होगा/होगी : आरक्षण।

परन्तु ऐसी फेरफार इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण पॉलिसी की उल्लंघना नहीं होगी।

23. यदि इन नियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठता है, तो कार्यकारी अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। निर्वचन।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

भाग – 1

वेतनमान सहित हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में विभिन्न नाम पद्धति सहित पदों की संख्या दर्शाते हुए विवरण :

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या		
		रूपये	स्थाई	अस्थाई	कुल
ग्रुप ख					
1.	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800–5400 ग्रेड वेतन	–	1	1
2.	अधीक्षक	9300–34800–4200 ग्रेड वेतन	–	1	1
3.	विधि अधिकारी	9300–34800–4200 ग्रेड वेतन + 200 विशेष वेतन	–	1	1
ग्रुप ग					
4.	अनुभाग अधिकारी	9300–34800–4600 ग्रेड वेतन	–	1	1
5.	उप अधीक्षक	9300–34800–3600 ग्रेड वेतन	–	1	1
6.	निजी सहायक	9300–34800–3600 ग्रेड वेतन + 150 विशेष वेतन	–	1	1
7.	विधि सहायक	9300–34800–3300 ग्रेड वेतन	–	1	1
8.	लेखाकार	9300–34800–3200 ग्रेड वेतन	–	1	1
9.	सहायक	9300–34800–3200 ग्रेड वेतन	–	6	6
10.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	9300–34800–3200 ग्रेड वेतन	–	1	1
11.	आशुलिपिक	5200–20200–1900 ग्रेड वेतन	–	2	2
12.	लिपिक	5200–20200–1900 ग्रेड वेतन	–	4	4
13.	चालक	5200–20200–2400 ग्रेड वेतन	–	3	3
ग्रुप घ					
14.	सेवादार	4440–7440–1300 ग्रेड वेतन	–	6	6
15.	सेवादार–एवं–चौकीदार	4440–7440–1300 ग्रेड वेतन	–	1	1

भाग–II

वेतनमान सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में विभिन्न नाम पद्धति सहित पदों की संख्या दर्शाते हुए विवरण

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या		
		रूपये	स्थाई	अस्थाई	कुल
		ग्रुप ग			
1	सहायक	9300–34800–3200 ग्रेड वेतन	–	21	21
2	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	5200–20200–1900 ग्रेड वेतन	–	31	31
3	लिपिक	5200–20200–1900 ग्रेड वेतन	–	40	40
4	चालक	5200–20200–2400 ग्रेड वेतन	–	9	9
		ग्रुप घ			
5	सेवादार	4440–7440–1300 ग्रेड वेतन	–	31	31

भाग–III

वेतनमान सहित लोक उपयोगी सेवा हेतु स्थाई लोक अदालत में विभिन्न नाम पद्धति सहित पदों की संख्या दर्शाते हुए विवरण

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या		
		रूपये	स्थाई	अस्थाई	कुल
		ग्रुप ग			
1	आशुलिपिक	5200–20200–1900 ग्रेड वेतन	–	11	11
		ग्रुप घ			
2	सेवादार	4440–7440–1300 ग्रेड वेतन	–	11	11

भाग–IV

वेतनमान सहित उपमण्डल विधिक सेवा समिति में विभिन्न नाम पद्धति सहित पदों की संख्या दर्शाते हुए विवरण

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या		
		रूपये	स्थाई	अस्थाई	कुल
		ग्रुप ग			
1	लिपिक	5200–20200–1900 ग्रेड वेतन	–	24	24

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	प्रशासनिक अधिकारी	(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित एम0बी0ए0 या एल0एल0बी0 या उसके समकक्ष; तथा (ख) किसी प्रशासनिक पद पर पांच वर्ष का अनुभव;	**पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा –** (क) अधीक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;
2.	अधीक्षक	(क) 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक; तथा (ख) किसी पर्यवेक्षक हैसियत में पांच वर्ष का अनुभव;	**पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा –** (क) स्नातक या समकक्ष; (ख) उप अधीक्षक या निजी सहायक के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव या सहायक या लेखाकार के रूप में दस वर्ष का अनुभव या दस वर्ष का संयुक्त अनुभव;
3.	विधि अधिकारी	(क) 55 प्रतिशत अंकों सहित विधि स्नातक; (ख) बार में सात वर्ष का विधि व्यवसाय; (ग) हिन्दी की जानकारी;	(क) कम से कम दस वर्ष का अनुभव रखने वाले विधि सहायक में से पदोन्नति द्वारा ; (ख) कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले विधि अधिकारियों या कम से कम दस वर्ष का अनुभव रखने वाले विधि सहायक में से स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
4.	अनुभाग अधिकारी	एस0ए0एस0 अर्हक	खजाना तथा लेखा विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा;
5.	उप अधीक्षक	(क) 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक; तथा (ख) किसी पर्यवेक्षक हैसियत में तीन वर्ष का अनुभव;	कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखने वाले सहायकों/लेखाकारों में से पदोन्नति द्वारा;
6.	निजी सहायक	(क) 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक; तथा (ख) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव तथा अंग्रेजी आशुलिपि/टंकण में प्रति मिनट 100/20 शब्द और हिन्दी आशुलिपि/टंकण में 80/15 की शब्द की गति रखता हो;	(क) कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखने वाला वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक में से पदोन्नति द्वारा ; (ख) कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखने वाला वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक में से स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
7.	विधि सहायक	55 प्रतिशत अंकों सहित विधि स्नातक। बार में अनुभव रखने वाले उम्मीदवार को अधिमान दिया जाएगा;	कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले विधि स्नातक सहायकों/लेखाकारों या विधि स्नातक लिपिकों, जो पांच वर्ष का अनुभव रखते हों, में से पदोन्नति द्वारा ;

8.	लेखाकार	(क) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित वाणिज्य स्नातक और कंप्यूटर एपलिकेशन में डिग्री / डिप्लोमा धारक हो; (ख) लेखाकार के रूप में दो वर्ष का अनुभव;	कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखने वाले लेखाकार के पद पर कार्यरत वाणिज्य स्नातक में से स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा;
9.	सहायक	कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित किसी शिक्षण में स्नातक डिग्री और कंप्यूटर एपलिकेशन में डिग्री / डिप्लोमा धारक हो ;	(क) वरिष्ठता–एवं– मैरिट के आधार पर पांच वर्ष के अनुभव सहित लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; (ख) कंप्यूटर एपलिकेशन में डिग्री / डिप्लोमा धारक सहायकों या पांच वर्ष के अनुभव सहित कंप्यूटर एपलिकेशन में डिग्री / डिप्लोमा धारक लिपिकों या कंप्यूटर एपलिकेशन में डिग्री / डिप्लोमा धारक सहायक तथा लिपिक के पद पर पांच वर्ष का संयुक्त अनुभव रखने वालों में से स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा;
10.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक; (ख) अंग्रेजी आशुलिपि / टंकण में प्रति मिनट 100 / 20 शब्दों तथा हिन्दी आशुलिपि / टंकण में प्रति मिनट 80 / 15 शब्द की गति रखता हो ;	(क) वरिष्ठता–एवं–मैरिट के आधार पर पांच वर्ष के अनुभव सहित कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; (ख) पांच वर्ष का अनुभव सहित कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
11.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक; (ख) अंग्रेजी आशुलिपि / टंकण में प्रति मिनट 100 / 20 शब्द तथा हिन्दी आशुलिपि / टंकण में प्रति मिनट 80 / 15 शब्द की गति रखता हो;	वरिष्ठता–एवं–मैरिट के आधार पर तीन वर्ष के अनुभव तथा अंग्रेजी आशुलिपि / टंकण में प्रति मिनट 100 / 20 शब्द तथा हिन्दी आंशुलिपि / टंकण में प्रति मिनट 80 / 15 शब्द की गति सहित आशु टंककों में से पदोन्नति द्वारा;
12	आशुलिपिक	(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान, वाणिज्य में स्नातक डिग्री या उसके समकक्ष; (ख) अंग्रेजी आंशुलिपि में प्रति मिनट 80 शब्द की गति तथा 15 शब्द प्रति मिनट से उसका प्रतिलेखन तथा हिन्दी आशुलिपि में प्रति मिनट 64 शब्द की गति तथा 11 शब्द प्रति मिन्ट से उसका प्रतिलेखन;	–
13	लिपिक(90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा 10 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा)	(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके समकक्ष; (2) एक विषय के रूप में हिन्दी सहित मैट्रिकुलेशन ; उच्चतर अर्हता धारक व्यक्ति को अधिमान दिया जाएगा।	कम से कम मैट्रिक या उसके समकक्ष अर्हता रखने वाले ऐसे पदों पर 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले सेवादार–एवं–चौकीदारों / सेवादारों में से पदोन्नति द्वारा।

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>टिप्पणः– उम्मीदवारों की निम्नलिखित विषयों में लिखित परीक्षा ली जाएगीः–
<table>
<tr><td>क्रम संख्या</td><td>विषय</td><td>अधिकतम अंक</td><td>अर्हक अंक</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>अंग्रेजी कम्पोजिशन</td><td>100</td><td>50 प्रतिशत</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>सामान्य ज्ञान</td><td>100</td><td>50 प्रतिशत</td></tr>
</table>
कोई भी उम्मीदवार जब तक लिखित परीक्षा में कुलयोग में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करता है तथा 30 शब्द प्रति मिन्ट की गति से हिन्दी या अंग्रेजी में टाईप टेस्ट पास नहीं करता है, नियुक्ति के लिए विचारा नहीं जाएगा।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>चालक</td>
<td>(क) मैट्रिक;
(ख) कम से कम तीन वर्ष पुराना हल्का मोटर वाहन तथा मध्यम यात्रि मोटर वाहन वैद्य अनुज्ञप्ति होनी चाहिए;
(ग) समिति द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए;
(घ) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए;
(ङ) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा स्तर तक हिन्दी/संस्कृत ;
(च) लापरवाही चालन हेतु किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं होना चाहिए।</td>
<td>–</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>सेवादार या सेवादार– एवं– चौकीदार</td>
<td>मिडल स्तर की परीक्षा तथा हिन्दी का ज्ञान रखता हो।</td>
<td>–</td>
</tr>
</table>

परिशिष्ट ग

{देखिए नियम 17(1)}

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1.	ग्रुप ख सेवा का कोई सदस्य	कार्यकारी अध्यक्ष	1 छोटी शास्तियां 2 बड़ी शास्तियां (हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 में यथा विनिर्दिष्ट।)	कार्यकारी अध्यक्ष	मुख्य संरक्षक
2.	ग्रुप ग तथा घ सेवा का कोई सदस्य	नियम 6 के अनुसार सदस्य सचिव / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो।	1 छोटी शास्तियां 2 बड़ी शास्तियां (हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 में यथा विनिर्दिष्ट।)	नियम 6 के अनुसार सदस्य सचिव / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो।	कार्यकारी अध्यक्ष

परिशिष्ट घ

{देखिए नियम 17 (2)}

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1.	ग्रुप ख सेवा का कोई सदस्य	(i) पेंशन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय साधारण या अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना;	कार्यकारी अध्यक्ष	मुख्य संरक्षक
2.	ग्रुप ग या घ सेवा का कोई सदस्य	(ii) सेवा के सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु पूरी होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	नियम 6 के अनुसार सदस्य सचिव/ अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।	कार्यकारी अध्यक्ष

पी0के0 दास,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।